निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

मि0 नं0 1/2020 प्रार्थना पत्र/बउनवान/रामस्वरूप बनाम गायत्रीबाई वगैरा

रामस्वरूप पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तह0 सॉगोद। –प्रार्थी–

–बनाम–

1. श्रीमती गायत्री पत्नी श्री राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम मालीहेडा,
2. श्रीमती लाडकंवर पत्नी श्री धनराज जाति धाकड निवासी ग्राम मालीहेडा,
3. श्रीमती सन्तोषबाई पत्नी श्री माणकचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद,
4. राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

एवं

मि0 नं0 177/2020 वादपत्र/बउनवान/गायत्री वगैरा बनाम रामस्वरूप

1. गायत्री पत्नी राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद,
2. लाडकंवर पत्नी धनराज जाति धाकड निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद,
3. संतोषबाई पत्नी माणकचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद। –वादीगण–

–बनाम–

1. रामस्वरूप पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद,
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट

एवं

मि0 नं0 11/2025 प्रार्थना पत्र/बउनवान/गायत्री वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा

1. गायत्री पत्नी राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद,
2. लाडकंवर पत्नी धनराज जाति धाकड निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद,

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

3. संतोषबाई पत्नी माणकचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद। –प्रार्थीगण–

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद,
2. रामस्वरूप पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद,
3. मांगीलाल पुत्र किशना जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद। –अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 10/3/26

चूंकि उक्त तीनों ही प्रकरण ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 521, 521/637 से संबंधित हैं और दोनों ही खसरे एक–दूसरे से लगे हुये हैं जिनमें मूलतः रास्ते के आवागमन को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है। लिहाजा तीनों ही प्रकरणों का एकसाथ निर्णय पारित करना उचित समझती हूं।

प्रथमतः दिनांक 30.07.2020 को इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रामस्वरूप की ओर से प्रार्थना पत्र मि0 नं0 1/2020 अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर आराजी एवं अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 के खाते की खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर वाके ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 521 में आवागमन करने का एकमात्र पीढियों पुराना पारम्परिक रास्ता अप्रार्थी कं. 1 लगायत 3 के खाते की आराजी खसरा नंबर 521/637 में पूर्वी मेड पर होकर बदस्तूर चला आ है जिसे नजरी नक्शे में **A** से **B** बिन्दु से दर्शाया गया है। उक्त **A** से **B** पारम्परिक रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 521 में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी कं. 1 लगायत 3 की आराजी मूल खसरा नंबर 521 रकबा 1.54 हैक्टर से निर्मित किये गये हैं जो पूर्व में एक ही चक था जो ग्राम मालीहेडा से सुनारों के कुऐं तक जाने वाली गडार से लगवा स्थित था तथा बाद में खसरा नंबर 521 रकबा 1.54 हैक्टर को विभाजन वाद संख्या 62/2016 बउनवानी लाडकुंवर वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा में पारित अन्तिम निर्णय–डिक्री दिनॉक 15.05.2017 की पालना में दो भागों में विभक्त कर दिया गया जिसमें गडार(रास्ते) से संलग्न खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर अप्रार्थी कं. 1,2,3 के हिस्से में एवं पीछे का हिस्सा खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर प्रार्थी के हिस्से में आया किन्तु वक्त विभाजन प्रार्थी के हिस्से में आवागमन करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं होने से प्रार्थी के हिस्से की आराजी में आवागमन करने के **A** से **B** प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो सका जिसके कारण अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 आये दिन प्रार्थी को उपरोक्त प्रचलित पुरातन रास्ते में

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद, कोटा

होकर आवागमन करने में बाधा पहुंचाती हैं जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कं. 2 को भी लिखित शिकायत की किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन में बाधा पहुंचाने से बाज नहीं आ रही हैं। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

––:: नजरी नक्शा विवादग्रस्त स्थल :––

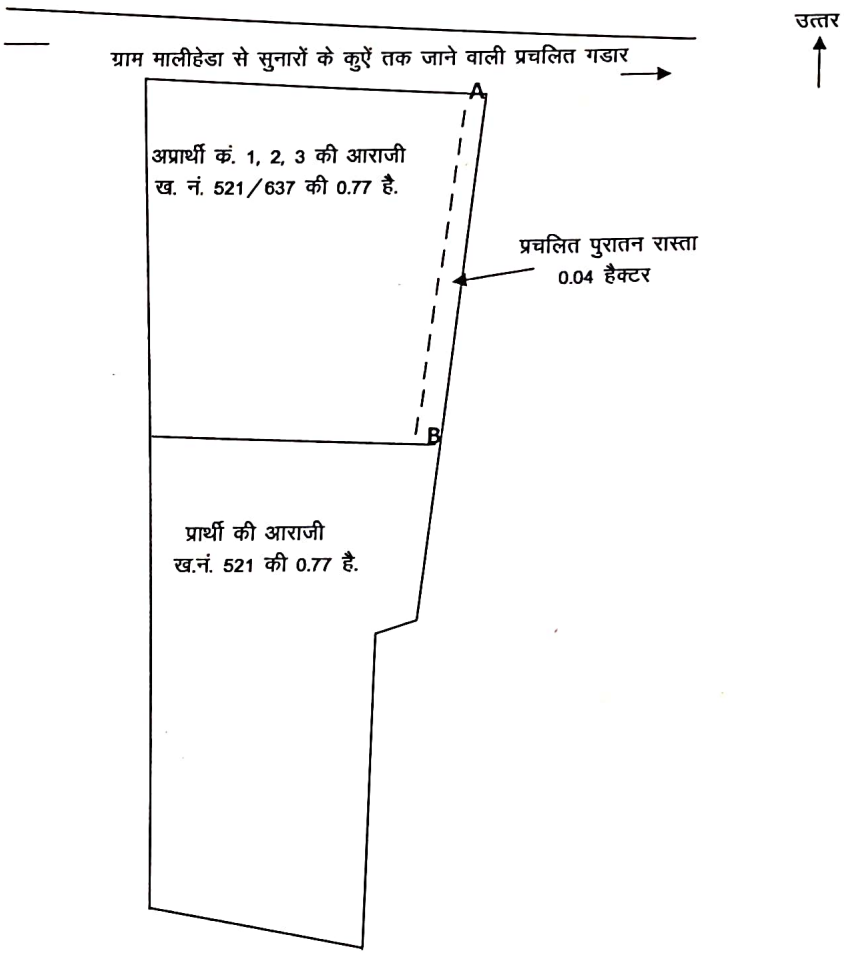

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित कि उक्त A से B पुरातन रास्ते में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 की ख.नं. 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 3.50X114=399वर्गमीटर भूमि आती है। इस प्रकार से प्रार्थी के प्रचलित रास्ते में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 की आराजी खसरा नंबर 521/637 की 0.04 हैक्टर पूर्वी आराजी आती है तथा उक्त क्षैत्र की प्रचलित डी. एल.सी. दर 1,51,939/–रूपये प्रतिबीघा (0.16) होने से रास्ते में जाने वाली कुल भूमि 0.04 हैक्टर की कुल कीमत 37,985/–रूपये बनती है जिसे अदा करने को प्रार्थी तत्पर है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–A के प्रावधानों के अनुसार उक्त रास्ते में आने वाली 0.04 हैक्टर भूमि की प्रतिकर राशि अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 को अदा करने को तत्पर है किन्तु अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 द्वैषतावश उक्त रास्ते को बाधित करने को आमादा हैं जिसमें यदि अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 सफल हो गई तो

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

प्रार्थी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र के नजरी नक्शे में A से B बिन्दु से इंगित पुरातन रास्ते की परिधि में आने वाली ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद के ख.नं. 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 3.50X114=399वर्गमीटर अर्थात् 0.04 हैक्टर पूर्वी भूमि को "गै.मु.रास्ता" घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि रूबरू अदालत प्रार्थी से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 को आदेशित किया जावे तथा अदमप्राप्ति प्रतिकर राशि G.A.- 55 में जमा करवाने के आदेश फरमाये जावें तथा माल ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी में ट्रेक्टर–ट्रोली, हल–कूली, बैलगाडी व अन्य कृषि उपकरणों के आवागमन के A से B रास्ते में आवागमन में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 किसी प्रकार से मदालखत, मजामहत, क्षति, बाधा इत्यादि कारित नहीं करें। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी के खाते की खसरा न0521 की 0.77 हेक्टर, व अप्रार्थी कम 1, 2, 3 के खाते की आराजी खसरा न0 521/637 की 0.77 हेक्टर भूमि ग्राम मालीहेडा में स्थित होना स्वीकार हे, परन्तु उक्त खसरा न० 521 की 0.77 हेक्टर कृषि भूमि का प्रार्थी के कब्जे काश्त मे होना अस्वीकार है. प्रार्थी वक्त खरीद से ही उक्त कृषि भूमि को मुनाफे पर काश्त करवाता आया है। प्रार्थी कभी भी खसरा न0 521/637 मे होकर उसके खेत मे आया गया नही है, वह हमेशा से अपनी भूमि को मुनाफे पर जुपवाता आया है, तथा मुनाफेदार ने उसके खेत मे होकर खसरा न0 521 की भूमि का उपयोग उपभोग किया है, कभी कभार अप्रार्थीगण का खेत खाली मिलने पर प्रार्थी यहा से आया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 ता 3 की आराजी मूल खसरा न0 521 रकबा 1.54 हेक्टर से निर्मित होना, इसका एक चक होना, ग्राम मालीहेडा गडार से लगवा स्थित होना, स्वीकार है, शेष जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है, वास्तविकता यह है, कि खसरा न0 521 की 1.54 हेक्टर भूमि दो भाईयो के शामलाती खाते की भूमि थी, उन दोनो भाईयो ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा किया था, उक्त दोनो भाईयो मे से एक भाई ने अपनी भूमि प्रार्थी को विक्रय कर दी थी, तथा शेष भूमि जो गडार के लगवा थी, को अप्रार्थी कम 1,2,3 ने दूसरे भाई से खरीद कर लिया था, वक्त खरीद से गडार के साइड वाली भूमि अप्रार्थी कम 1,2,3 के शांति पूर्वक कब्जे मे चली आ रही है, उक्त भूमि का विभाजन माननीय न्यायालय से हुआ था, लेकिन मुकदमे के दौरान प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1, 2, 3 के हिस्से की भूमि मे कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा कर पत्थरो का कोट कर लिया, व अप्रार्थी कम 2 के पति धनराज के विरूद्ध धारा 3 एस सी/एस टी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमे थाने मे हुई समझाइश मे यह बात तय हुई, कि जब मुकदमे का

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

फैसला हो जावेगा, तब राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार कृषि भूमि को मौके पर नपवा लेंगे, तथा प्रार्थी अधिक भूमि से कब्जा हटा लेगा, उक्त सहमति बनने के पश्चात माननीय न्यायालय मे लंबित विभाजन के वाद मे दिनांक 15.5.2017 को बंटवारे की डिकी पारित कर दी गई, उस वक्त भी अप्रार्थी कम 2 के पति ने प्रार्थी से कहा, कि आपका कब्जा 1/2 हिस्से से अधिक भूमि पर है, आप जमीन नपवाकर अपना कब्जा हटा लो, परन्तु उसने आश्वासन देने के बाद भी अपना कब्जा नही हटाया, प्रार्थी के उक्त कृत्य के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट के तहत बेदखली का वाद प्रस्तुत किया हुआ हे, जो वर्तमान मे लंबित है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की लगभग 0.12 हेक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूपसे कब्जा किया हुआ है। जिसे वह हटाने को तत्पर नही है। उक्त मद में नजरी नक्शा जिस प्रकार का अंकित किया गया है, अस्वीकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण में राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि ग्राम मालीहेडा में खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि रामस्वरूप पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा के नाम राजस्व रिकार्ड में खाता दर्ज है। खसरा नंबर 521/637 की 0.77 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में खाता दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खसरा नंबर 521/637 तक तो जाने हेतु प्रचलित रास्ता है जो मौके पर कायम है किन्तु वादी के खेत खसरा नंबर 521 तक जाने हेतु रास्ता मौके पर कायम नहीं है जबकि वादी खसरा नंबर 521/637 में से ही निकलकर हकाई जुताई करता चला आ रहा है। वादी को अपने खसरा नंबर 521 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को कानूनन रास्ता दिया जाता है तो खसरा नंबर 521/637 के पूर्वी तरफ की मेर से 91X3 =273 वर्गमीटर लगभग 0.03 हैक्टर भूमि अधिग्रहित होती है।

उक्त प्रकण में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2024 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर माल ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 521 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 के नाम दर्ज खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर पूर्वी आराजी को गै.मु.रास्ता घोषित किये जाने, उक्त भूमि को राजकीय खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने तथा उक्त रास्ते में होकर प्रार्थी के आवागमन में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, क्षति, बाधा कारित नहीं करने बाबत आदेश पारित किये थे। साथ ही प्रचलित डीएलसी दर 11,38,319/— रूपये प्रति हैक्टर की दर से उक्त रास्ते की उक्त 0.04 हैक्टर भूमि की दौगुनी डीएलसी प्रतिकर राशि 91,070/— रूपये अक्षरे इकानवे हजार इकहत्तर रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 को अदा किये जाने के आदेश प्रसारित किये थे जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

अनुपालना में अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करने पर प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रतिकर राशि के बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 007921, 007922, 007923 दिनांकित 16.04.2025 तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जो इस न्यायालय द्वारा अदायगी हेतु मूल ड्राफ्ट जर्ये पत्र कमांक/रीडर/2025/685 दिनांक 01.05.2025 से तहसीलदार सांगोद को प्रेषित किये। तत्पश्चात् अपीलाण्ट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 2025/174 में निर्णय दिनांक 31.07.2025 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2025 को निरस्त कर दिया गया और पत्रावली इन निर्देर्शो के साथ प्राप्त हुई कि अधिनस्थ न्यायालय विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट पर अपीलाण्टगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करे तथा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुये राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे।

द्वितीयतः दिनांक 14.09.2020 को इस न्यायालय के समक्ष वादीगण गायत्री वगैरा की ओर से वादपत्र संख्या 177/2020 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं० 521/637 की 0.77 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज हे, उक्त कृषि भूमि के उत्तर मे गडार स्थित है, उक्त कृषिभूमि के सटवा ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद के माल मे ही खसरा न0 521 की 0.77 हेक्टर आराजी स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीन 01 के नाम से दर्ज है, वादीगण अपने खाते मे दर्ज कृषि भूमि को मौका स्थिति अनुसार उपयोग व उपभोग मे है। पूर्व मे उक्त कृषि भूमियों वादीनीगण व व प्रतिवादीन01 के सम्मलित खाते मे थी, तथा इसका खसरान0 521 रकबा 1.54 हेक्टर था, जिसमे वादीनीगण व प्रतिवादी कम1 का हिस्सा राजस्व रेकार्ड अनुसार कमशः 1/2—1/2 था। जब उक्त भूमि शामलाती खाते मे थी, उस वक्त प्रतिवादी कम 1 ने उक्त कृषि भूमि मे अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करना प्रारम्भकर दिया, जिसको मना करने पर प्रतिवादी कम1 ने मुकदमे के दौरान उसके कब्जे की भूमि पर पत्थरो का कोट कर दिया, व वादीनीकम 2 के पति धनराज को धारा 3 एस सी एस टी का मुकदमा दर्ज करा दिया। उस वक्त थाने में हुई आपसी समझाइश मे यह बात तय हुई, कि जब मुकदमे का फैसला हो जायेगा, उस वक्त राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार कृषि भूमि को मौके पर नपवा लेंगे, तथा प्रतिवादी कम अधिक भूमि से कब्जा हटा लेगा, उक्त सहमति बनने के पश्चात माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे दिनांक 15.5.2017 को बंटवारे के वाद मे अंतिम डिकी पारित कर दी गई, उस वक्त भी वादीनी कम 2 के पति ने प्रतिवादी कम 1 से कहा, कि आपका कब्जा 1/2 से अधिक हिस्से पर है, उसे आप नपवा करके हटा लो, इस पर प्रति0 कम 1 ने वादीनी कम 2 के पति आश्वस्त किया, कि वह हिस्से से अधिक भूमि से कब्जा हटा लेगा। माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिकी की पालना में राजस्व रेकार्ड मे

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (जिला कोटा)

से वादीनीगण व प्रतिवादी कम1 का खाता सम्भाग मे विभक्त कर दिया, परन्तु प्रतिवादी कम 1 ने उसके कब्जे में हिस्से अधिक भूमि जो कि लगभग पौन बीघा थी, पर से कब्जा आज दिनांक तक भी नही हटाया, और अब तो प्रतिवादी कमा यह कहने लगा है, कि कब्जा नहीं हटाया तो नही हटाया, अब तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो। प्रतिवादी कम 1 को यह भली प्रकार से पता है, कि वह मौके पर वादीगण के खाते में दर्ज 0.77 हेक्टर मे से दक्षिणी तरफ की पूरब पश्चिम लम्बाई मे लगभग 0.12 हेक्टर भूमि को अनाधिकृत रूपसे काश्त कर रहा है, जिसे वह कई बार तकाजा करने के बावजूद भी, छोडने को तत्पर नही है, इसलिए वादीनीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वह प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध कृषि भूमि से निष्कासन का वाद प्रस्तुत करे, यही इस वाद की विषय वस्तु है। वाद कारण दिनांक 17.8.2020 को उत्पन्न हुआ, जब वादीनीगण कम 2 के पति धनराज ने प्रतिवादी कम 1 से वादीनीगण के खाते की भूमि मे प्रतिवादी कम द्वारा अनाधिकृत रूपसे कब्जा की गई 0.12 हेक्टर भूमि पर से पत्थरो के कोट को हटाकर कब्जा हटाने को कहा, और उसने कब्जा हटाने से साफ मना कर दिया। प्रतिवादी कम 2 को भूमिधारक होने से उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी कं. 1 के विरूद्ध कृषिभूमि से निष्कासन की डिक्री पारित फरमायी जाकर वादीगण के खाते की माल ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 521/637 की 0.77 हैक्टर भूमि में से दक्षिणी तरफ की पूरब–पश्चिम लम्बाई में 0.12 हैक्टर कृषिभूमि पर प्रतिवादी कं. 1 को बेदखल किया जाकर वादीगण को रिक्त आधिपत्य सम्भलाया जाने का कष्ट करें।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1 द्वारा द्वारा जाहिर किया कि यदि ''मेरी आराजी मौके पर अधिक पाई जावेगी तो मैं छोडने को तैयार हूं।'' प्रतिवादी कं. 2 की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा पटवार मण्डल विनोदखुर्द की इस आशय का जवाब मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ कि ग्राम मालीहेडा के खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर आराजी खातेदार गायत्री पत्नी राधाकिशन, लाडकंवर पत्नी धनराज, सन्तोषबाई पत्नी माणकचन्द जाति धाकड साकिन जालीहेडा के नाम दर्ज है जिसकी पेमाईश करने पर खातेदार के कब्जे में 0.59 हैक्टर भूमि वर्तमान में है जबकि जमाबन्दी अनुसार खातेदार के पास 0.77 हैक्टर भूमि होनी चाहिये व खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर खातेदार रामस्वरूप पुत्र मथुरालाल जाति मीणा साकिन मालीहेडा के नाम दर्ज है जिसकी पैमाईश करने पर खातेदार के कब्जे में 0.67 हैक्टर भूमि वर्तमान में है जबकि जमाबन्दी के अनुसार खातेदार के पास 0.77 हैक्टर भूमि होनी चाहिये। मौका स्थिति के अनुसार दोनों खातेदारों के हिस्से में रकबा कम है।

तृतीयतः प्रार्थीनीगण के खाते व कब्जे की ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

कोटा मे खसरा न0 521/637 उत्तरी की 0.77 हेक्टर, कृषि भूमि स्थित है, उक्त कृषि भूमि के सटवा कमशः खसरा न0 521 की 0.77 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि अप्रार्थी कम 2 के नाम से खाते मे दर्ज है, उक्त दोनो खसरा नम्बर की भूमि पूर्व मे मूल खसरा न0 521 रकबा 1.57 हेक्टर मे शामिल थी, जो कि एक ही चक था, जो ग्राम मालीहेडा से सुनारो के कुए तक जाने वाली गडार से लगवा स्थित था, उक्त खसरा न0 521 रकबा 1.54 हेक्टर के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत करने पर खसरा न0 521/637 की 0.77 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज कीगई, व खसरा न0 521 की 0.77 हेक्टर भूमि अप्रार्थी कम2 के नाम से दर्ज रही, उक्त दोनो खसरा नम्बरान की भूमि के सटवा खसरा न0 522/1 उत्तरी की 0.24 हेक्टर भूमि मोतीलाल पुत्र बिशना मीणा निवासी मालीहेडा के नाम से दर्ज है, इसी प्रकार खसरा न0 522 दक्षिणी की 0.61 हेक्टर भूमि मांगीलाल पुत्र किशना जाति मीणा अप्रार्थी न03, खसरा न0 519 की 0.54 हेक्टर, खसरा न0 520 की 0.53 हेक्टर, खसरा न0 546 की 1.12 हेक्टर कृषि भूमि छीतरलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा वगैरा के नाम से दर्ज है, उक्त छीतरलाल पुत्र श्री मोतीलाल अप्रार्थी कम आदि एक ही जाति के होकर रिश्तेदार है, अप्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि को स्वयं काश्त न कर उक्त वर्णित अपने जातिगत रिश्तेदारो से काश्त करवाता रहा है। यद्यपि प्रार्थीगण के खाते मे 0.77 हेक्टर भूमि दर्ज है, लेकिन मौके पर प्रार्थीनीगण के पास मात्र 0.59 हेक्टर भूमि ही है, इसी प्रकार अप्रार्थी कम 2 के खाते मे भी 0.77 हेक्टर भूमि है, परन्तु उसके कब्जे मे भी 0.67 हेक्टर भूमि है, प्रार्थीनीगण नेआस पास के काश्तकारो से कहा भी कि अपने अपने खसरा नम्बर की भूमि की पैमाइश करवाकर पत्थरगडी करवा लेते है, परन्तु अप्रार्थीकम 2, 3 व अन्य पडोसी काश्तकार इसके लिए तैयार नही है। प्रार्थीनीगण चाहती है, कि उनके खाते की कृषि भूमि खसरा न० 521/637 उत्तरी रकबा 0.77 हेक्टर व अप्रार्थीक्रम 2 के खसरा न0 521 की रकबा 0.77 हेक्टर भूमि की पैमाइश की जावे, तथा उक्त खसरा नम्बरान की सीमा प्रार्थीनीगण व अप्रार्थी कम 2 को बताई जाकर पत्थरगडी करवा ली जावे, ताकि पडोसी काश्तकारान से किसी भी प्रकार का विवाद न हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थीनीगण के खाते की खसरा नंबर 521/637 उत्तरी रकबा 0.77 हैक्टर व अप्रार्थी कं. 2 के खाते की कृषिभूमि खसरा नंबर 521 की 0.77 हैक्टर भूमि की पैमाईश की जाकर एवं उक्त खसरा नंबर की सीमा प्रार्थीगण व अप्रार्थी कं. 2 को बताई जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित फरमाने का कष्ट करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1 की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा इस आशय का जवाब मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया कि माल ग्राम मालीहेडा प०ह० विनोद खुर्द के पटवारी द्वारा ख0न0 521/637 रकबा 0.77 है० एवं ख0न0 521 रकबा 0.77 है० का मौका देखा गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मालीहेडा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 खाता स. 164

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

ख0न0 521/637 रकबा 0.77 है० गायत्री पत्नि राधाकिशन हि0 1/3 जाति धाकड़ वगै० के नाम दर्ज है तथा ख0न0 521 रकबा 0.77 है० रामस्वरूप पुत्र मथुरालाल हि० पूर्ण जाति मीणा के नाम दर्ज है। मौके पर ख0न0 521/637 रकबा 0.77 है० खातेदार गायत्री पत्नि राधाकिशन रकबा 0.77 है0 में से रकबा 0.59 है० पर कब्जा है तथा ख०न० 521 रकबा 0.77 रामस्वरूप अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है एवं अपनी भूमि रकबा 0.77 हैक्टर में से 0.67 हैक्टर भूमि पर कब्जाकाश्त है तथा विवाद की स्थिति नहीं है।

अप्रार्थी कं. 2 रामस्वरूप द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र के प्रथम पेराग्राफ में ग्राम मालीहेडा के खसरा नंबर 521/637 की भूमि प्रार्थीगण के नाम से, खसार नंबर 521 की आराजी अप्रार्थी कं. 2 रामस्वरूप के नाम से, खसरा नंबर 522/1 की आराजी मोतीलाल पुत्र बिशना मीणा के नाम से, खसरा नंबर 522 की आराजी अप्रार्थी क. 3 मांगीलाल के नाम से तथा खसरा नंबर 520 व 546 की आराजी छीतरलाल पुत्र भंवरलाल मीणा वगैरा के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना मात्र स्वीकार है। शेष तथ्य नितान्त झूठें व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के द्वितीय पेराग्राफ नितान्त झूठें व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 521/637 व 521 की पैमाईश कर उपरोक्त खसरों की सीमाओं पर पत्थरगडी करवाने बाबत अनुतोष चाहा है कि उक्त खसरों की सीमाओं से लगे हुये खेत खसरा नंबर 520, 522/1, 523, 524, 525, 542, 543, 546 के खातेदार जो कि पडौसी कृषक हैं, उनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होकर काबिल खारिजा है। प्रार्थना पत्र के तृतीय पेराग्राफ नितान्त झूठें व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने एवं प्रार्थीगण खसरा नंबर खसरा नंबर 521/637 व 521 की सीमाओं से लगे हुये खेत खसरा नंबर 520, 522/1, 523, 524, 525, 542, 543, 546 के खातेदार जो कि पडौसी कृषक हैं, को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 521/637 व 521 की पैमाईश कर उपरोक्त खसरों की सीमाओं पर पत्थरगडी करवाने बाबत अनुतोष चाहा है कि उक्त खसरों की सीमाओं से लगे हुये खेत खसरा नंबर 520, 522/1, 523, 524, 525, 542, 543, 546 के खातेदार जो कि पडौसी कृषक हैं, को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जिसके अभाव में उक्त पडोसियों से लगी हुई सीमाओं की पैमाईश व पत्थरगडी कानूनन सम्भव नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होकर काबिल खारिजा है। प्रार्थीगण द्वारा मुझ अप्रार्थी कं. 1, 2 विरूद्ध माननीय न्यायालय में पूर्व से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अधीन नियमित वाद संख्या 177/2020 प्रस्तुत किया हुआ है तथा प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र की आड में मुझ अप्रार्थी कं. 2 के खेत का एकमात्र रास्ते के आवागमन को रोकना चाहती हैं जिसके संबंध में पूर्व से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी कं. 1, 2 के मध्य माननीय न्यायालय में धारा 251ए के अधीन मुकदमा संख्या 1/2020 जैरकार है जिनके चलते कानूनन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण कानूनन

उपखण्ड ...
साँगोद ...

एलआरएक्ट में प्रार्थीनीगण द्वारा खसरा नंबर 521/637, 521 की सीमाओं की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शा ग्राम मालीहेडा का सूक्ष्मतम अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि खसरा नंबर 521/637, 521 की सीमाओं से खसरा नंबर 520, 522, 522/1, 523, 524, 525, 542, 543 एवं 546 मौजूद हैं किन्तु उक्त खसरों के खातेदारों को प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण की आराजी से चिपके हुए खसरों के काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना खसरा नंबर 521/637, 521 की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने के आदेश दिया जाना विधिसम्मत नहीं समझती हूं। अतः प्रार्थीगण गायत्री, लाडकुंवर व सन्तोष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट मि.नं. 11/2025 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

अतः माल ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थी रामस्वरूप की आराजी खसरा नंबर 521 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 गायत्री, लाडकुंवर व सन्तोष के नाम दर्ज खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर पूर्वी आराजी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को राजकीय खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते में होकर प्रार्थी के आवागमन में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, क्षति, बाधा कारित नहीं करें। पूर्वनिर्धारित डीएलसी दर 11,38,319/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से प्रस्तावित रास्ते की उक्त 0.04 हैक्टर भूमि की दौगुनी डीएलसी प्रतिकर राशि 91,070/– रूपये अक्षरे इकानवे हजार इकहत्तर रूपये की राशि अप्रार्थी गायत्री, लाडकुंवर व सन्तोष को अदा की जावे। चूंकि इस न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि अदायगी हेतु मूल बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 007921, 007922, 007923 दिनांकित 16.04.2025 पूर्व में इस न्यायालय के पत्र कमांक/रीडर/2025/685/01.05.2025 से तहसीलदार सांगोद को प्रेषित किये हुये हैं, जो अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं किये गये हैं, लिहाजा तहसीलदार सांगोद उक्त मूल बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 007921, 007922, 007923 दिनांकित 16.04.2025 को संबंधित बैंक से रिनिवल करवाकर प्रतिकर राशि को तब तक के लिए अमानत बतोर G.A.- 55 में जमा करे, जब तक कि अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 गायत्री, लाडकुंवर व सन्तोष द्वारा उक्त राशि प्राप्त नहीं कर ली जावे। तहसीलदार सांगोद मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ते को खुलासा करके प्रार्थी रामस्वरूप का आवागमन बहाल करे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड व मौके पर पालना कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनॉक 10/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद